न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 56 / 2007

1 अनन्त देव आयु 66 वर्ष पुत्र ब्रहमदत सहल जाति ब्राहमण निवासी नगरपालिका पिलानी के पास पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ब्रहमदत पुत्र ब्रजलाल।

1/1 श्रीमती सांवरी देवी आयु 82 वर्ष स्त्री ब्रहमदत समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण नगरपालिका पिलानी के पास पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

1/2 मु. सरीता देवी आयु 63 अब्दुल लतीफ आयु 53 वर्ष पुत्र सुभान सैयद जाति व्यापारी मुसलमान निवासी पीपली चौक वार्ड न. 45 झुंझुनू पुत्री ब्रहमदत स्त्री सुशील कुमार चौमाल निवासी 2के 18 कमला नेहरू नगर अजमेर रोड़ बाईपास भागरोड़ा पावर हाउस जयपुर।

1/3 शशि देवी स्वामी आयु 54 वर्ष पुत्री ब्रहमदत स्त्री अजय कुमार स्वामी निवासी सीओ सीताराम जी स्वामी प्लाट नम्बर 75 करणी कॉलोनी पथ नम्बर 7 तीन दुकान खेतान हॉस्पीटल के पास ढेर का बालाजी चौमू रोड़ जयपुर।

2 हरिमोहन पुत्र ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी नगरपालिका पिलानी के पास पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

2/1 श्रीमती उषा सहल आयु 64 वर्ष स्त्री हरिमोहन।

2/2 गगन सहल आयु 29 वर्ष पिता हरिमोहन।

2/3 उज्जवल आयु 24 वर्ष पिता हरिमोहन समस्त जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 24 पुरानी नगरपालिका के पास पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2/4 अम्बिका आयु 31 वर्ष पुत्री हरिमोहन स्त्री विवके शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सीओ किशनलाल शर्मा शीतला मन्दिर के पीछे बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।
2/5 मु. राधिका आयु 26 वर्ष पुत्री हरिमोहन जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 24, पुरानी नगरपालिका के पास पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17.07.2007
बमुकदमा उनवानी अनन्त देव बनाम ब्रहमदत
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी
एक्ट मुकदमा नम्बर 218/2007 अदालत सबडिविजनल
ऑफिसर चिड़ावा

उपस्थिति :

1. श्री विशवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 218/2007 में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित जमीन खसरा नम्बर 368 तादादी 4.52 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 390/369 तादादी 0.49 हैक्टेयर कुल तादादी 4.81 हैक्टेयर वाके ग्राम रायला जमीन खसरा नम्बर 147

तादादी 3.65 हैक्टेयर वाके ग्राम पिलानी खसरा नम्बर 28 तादादी 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 457/25 तादादी 1.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552/457/25 तादादी 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम धींधवा अथूणा, खसरा नम्बर 42 तादादी 3.16 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा जमीन खसरा नम्बर 44 तादादी 2.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106/48 तादादी 0.25 हैक्टेयर कुल 2.08 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा, खसरा नम्बर 81 तादादी 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम हनूतपुरा, खसरा नम्बर 24 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456/24 तादादी 1.60 हैक्टेयर कुल तादादी 1.61 हैक्टेयर वाके ग्राम धींधवा आथुणा व खसरा नम्बर 354 तादादी 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम पिलानी स्थित होना बतलाते हुये तथा प्रार्थी/अपीलांट व रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण पिता–पुत्रों का संयुक्त हिन्दु परिवार होना बतलाते हुये उक्त जमीनात अपीलांट/प्रार्थी व रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण की संयुक्त जायन्दा होना व अप्रार्थी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता होने से उक्त जमीनात अप्रार्थी/रेस्पोडेंट 1 के नाम से खरीदे जाने से इन जमीनों का राजस्व रिकार्ड अकेले अप्रार्थी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 के नाम से गलत बना हुआ होना बतलाते हुये इन जमीनात में अपीलांट/प्रार्थी का 1/3 हिस्सा कानून बनना बतलाकर इस आशय का दावा अदालत मातहत में प्रस्तुत किया तथा साथ में इस जमीन को दोराने दावा किसी अन्य के हक में विक्रय नहीं करने इस जमीन के पेड़ आदि काटकर या इस जमीन में गढ़े आदि खोदकर इसे वेस्ट एण्ड डेमेज नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया जिसमें अदालत मातहत ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का विधि विरूद्व आदेश दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलांट कि और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ब्रहमदत की शादी अनन्त देव की माता यशोदा देवी से हुई थी। इसके उपरान्त पुन दुसरी शादी सांवरी देवी से हुई, जिससे हरिमोहन पैदा हुआ। अपीलांट अनन्त देव, ब्रहमदत एवं हरिमोहन विवादित भूमि में संयुक्त हिन्दु परिवार के आधार पर समान भागीदार है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में पक्षकारों

भू-अभिलेख निरीक्षक
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के मध्य राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में विवाद लम्बित है। जिनमें स्थगन प्रभावी है। अपीलांट को ब्रहमदत व हरिमोहन ने मामा महावीर प्रसाद के गोद जाना बताकर संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पदा से बेदखल कर दिया है। सिविल न्यायालय झुंझुनू में प्रस्तुत वाद जो उषा देवी सहल द्वारा किया गया है। इसमें अपीलांट की वल्दियत ब्रहमदत अंकित है इससे अपीलांट के कथनों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। अपीलांट निःशुल्क शिक्षा के लिये मामा के पास रहता था। इसलिये स्कुल रिकार्ड में वल्दियत महावीर प्रसाद दर्ज हुई है। पत्रावली पर अपीलांट के गोद जाने का कोई दस्तावेज नही है। विधि अनुसार गोद का तथ्य मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त तय होना शेष है। वाद के निर्णय से पूर्व वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो, इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन दिया जाना चाहिए था। वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमियों की स्थिति यथावत रखनी चाहिए। अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के साथ पिता पुत्र को लिखे गये पत्र, विवाह के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है। जिनसे अपीलांट पुत्र होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अपीलांट का संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पतियों में 1/3 हिस्सा है। अत अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद स्थगन दिया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 1998(2) पेज 741, डी.एन.जे. 2006(2) पेज 421, डी. एन.जे. 2005(2) पेज 347, आर.एल.डब्ल्यु 1987 पेज 575, आर.आर.डी. 1998 पेज 363, आर.आर.डी. 2002 पेज 493, आर.आर.डी. 2002 पेज 744, डी.एन.जे. 2013(1) पेज 170 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां ब्रहमदत की स्वअर्जित है अपीलांट ने विवादित भूमियों की खरीद में कोई सहयोग नही किया है। ऐसी कोई साक्ष्य नही है जिससे भूमियों की खरीद में धन का सहयोग देना साबित होता हों। संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य होने की कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट ने स्कूल रिकार्ड दुरूस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। विवादित भूमियों के सन्दर्भ में दिनांक 10.05.2017 एवं 06.09.2017 को अपीलांट ने स्थगन वैकेट करवाया है। विवादित भूमियां विक्रय हो चुकी

पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

है। अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आये है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटक हमारे पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने तथ्यों का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन रहा है कि ब्रहमदत की शादी अनन्त देव की माता यशोदा देवी से हुई थी। इसके उपरान्त पुन दुसरी शादी सांवरी देवी से हुई, जिससे हरिमोहन पैदा हुआ। अपीलांट अनन्त देव, ब्रहमदत एवं हरिमोहन विवादित भूमि में संयुक्त हिन्दु परिवार के आधार पर समान भागीदार है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में विवाद लम्बित है। जिनमें स्थगन प्रभावी है। अपीलांट को ब्रहमदत व हरिमोहन ने मामा महावीर प्रसाद के गोद जाना बताकर संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पदा से बेदखल कर दिया है। सिविल न्यायालय झुंझुनू में प्रस्तुत वाद जो उषा देवी सहल द्वारा किया गया है। इसमें अपीलांट की वल्दियत ब्रहमदत अंकित है इससे अपीलांट के कथनों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। अपीलांट निःशुल्क शिक्षा के लिये मामा के पास रहता था। इसलिये स्कुल रिकार्ड में वल्दियत महावीर प्रसाद दर्ज हुई है। पत्रावली पर अपीलांट के गोद जाने का कोई दस्तावेज नही है। विधि अनुसार गोद का तथ्य मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त तय होना शेष है। वाद के निर्णय से पूर्व वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो, इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन दिया जाना चाहिए था। वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमियों की स्थिति यथावत रखनी चाहिए। अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के साथ पिता पुत्र को लिखे गये पत्र, विवाह के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है। जिनसे अपीलांट पुत्र होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अपीलांट का संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पतियों में 1/3 हिस्सा है।

रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलांट अपने मामा महावीर प्रसाद के गोद चला गया था। विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गोद जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। इस तथ्य का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. (राजस्थान) 2013 (1) पेज 170 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि" Civil Procedure code, 1908-O. 39, Rr. 1,2 - Temporary injunction - Appellant claimed right in the property on the basis of settlement - Responadents sold the property to respondrnt No. 3- It is a matter of evidence as to whether the appellant has any legal right in the property - Suit involves the triable issues- Held, in the interest of justice the respondents shall maintain the status quo and shall not alienate or transfer the property. इस न्यायिक दृष्टांत एवं पक्षकारो में वाद बाहुल्यता ना हो, विवादित भूमि वाद के निर्णय तक खुर्द बुर्द नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये अपील स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की ताफैसला वाद यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर